Seventeenth Series, Vol. XIII No.11 | Tuesday, August 03, 2021
Sravana 12, 1943 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Sixth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XIII contains Nos. 11 to 17)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora
Joint Secretary

Suman Rattan
Director

Narad Prasad Kimothi
Srivilasa Pandey
Joint Director

Kamala Subramanian
Editor

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XIII, Sixth Session, 2021/1943 (Saka)
No. 11, Tuesday, August 03, 2021/Sravana 12, 1943 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 201 to 206	13-36
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 207 to 220	37-107
Unstarred Question Nos. 2301 to 2530	108-695

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 397-709

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 710

COMMITTEE OF PRIVILEGES
2nd and 3rd Reports 711

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
45th to 47th Reports 712

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
32nd to 39th Reports 713-714

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
25th Report 715

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
Statement 716

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
Statements 717-718

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
298th Report 719

STATEMENTS BY MINISTER

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

Shri Narendra Singh Tomar 720

(ii)(a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Social Justice & Empowerment on Demands for Grants (2019-2020) pertaining to the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment 721

(b) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Social Justice & Empowerment on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment

Dr. Virendra Kumar 721

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Shri Ashwini Kumar Choubey 722

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Sadhvi Niranjan Jyoti 723

(v) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 228th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 222nd Report of the Committee on the 'Management of Worsening Traffic situation in Delhi' pertaining to the Ministry of Home Affairs

Shri Nityanand Rai 724

(vi) Status of implementation of the recommendations contained in the 224th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Home Affairs

Shri Ajay Misra Teni 724

(vii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2019-2020) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers. 725

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

Shri Bhagwanth Khuba 726

(viii) Status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Dr. L. Murugan 769

MATTERS UNDER RULE 377 729-755

(i) Regarding implementation of Ayushman Bharat Yojana in West Bengal
Shri Khagen Murmu 730

(ii) Need to provide stoppage of train Nos. 05113/14 and 55007/08 at Taraiya Sujan Railway Station in Deoria district, Uttar Pradesh
Dr. Ramapati Ram Tripathi 731

(iii) Need to enhance the minimum pension under Employees' Pension Scheme
Shri Ram Kripal Yadav 732

(iv) Regarding implementation of 'Patmada Pump Nahar' scheme in Jharkhand
Shri Bidyut Baran Mahato 733

(v) Regarding establishment of a Postal Head office at Yadagir city, Karnataka
Dr. Umesh G. Jadav 734

(vi) Need to construct pit line at Latur Railway Station, Maharashtra
Shri Sudhakar Tukaram Shrangare 735-736

(vii) Regarding reinstating the 11 left-out Gorkha sub-tribes as STs
Shri Raju Bista 737

(viii) Need to set up a Mini Food Park in Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency, Haryana

Shri Dharambir Singh 738

(ix) Need to develop Ratanpur in Bilaspur district, Chhattisgarh as a tourist place

Shri Arun Sao 739

(x) Regarding enhancement of Pension under EPS-1995

Shri Satyadev Pachauri 740

(xi) Regarding financial assistance to hand-woven textile industry in West Bengal

Shri Jagannath Sarkar 741-742

(xii) Regarding increase in import duty on oranges exported to Bangladesh

Shri Ramdas Tadas 743

(xiii) Regarding allocation of funds for development of Bhongir Fort in Bhongir Parliamentary Constituency, Telangana

Shri Komati Reddy Venkat Reddy 744

(xiv) Regarding alleged irregularity in appointment to the post of Secretary, National Medical Commission

Dr. Kalanidhi Veeraswamy 745

(xv) Regarding promotion of eco-tourism in Tiruvannamalai district of Tamil Nadu

Shri C.N. Annadurai 746

(xvi) Regarding repeal of farm laws

Prof. Sougata Ray 747

(xvii) Regarding sanction of funds to Andhra Pradesh to combat the menace of climate change

Shrimati Chinta Anuradha 748-749

(xviii) Need to undertake caste census in Census 2021

Shri Dileshwar Kamait 750

(xix) Regarding electrification of Kollam-Punalur and Punalur-Schenkottah Railway line

Shri N.K. Premachandran 751

(xx) Need to upgrade ESIC DCBO in Jhunjhunu Parliamentary Constituency, Rajasthan into a 30-bedded hospital

Shri Narendra Kumar 752

(xxi) Regarding disinvestment of RINL

Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 753

(xxii) Need to cover employees appointed before 1.1.2004 in Jawahar Navodaya Vidyalaya under CCS Pension Rules, 1972

Shri Hanuman Beniwal 754

(xxiii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Niwai in Tonk-Sawai Madhopur Lok Sabha Constituency, Rajasthan

Shri Sukhbir Singh Jaunapuria 755

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF ESSENTIAL DEFENCE SERVICES ORDINANCE, 2021 756-766

AND

ESSENTIAL DEFENCE SERVICES BILL, 2021

Motion to Consider 759

Adv. Ajay Bhatt 759-761

Shri N.K. Premachandran 762-763

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 763

Prof. Sougata Ray 763

Shri Raj Nath Singh 764

Clauses 2 to 19 and 1 765

Motion to pass 766

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF TRIBUNALS REFORMS (RATIONALISATION AND CONDITIONS OF SERVICE) ORDINANCE, 2021 770-779

AND

TRIBUNALS REFORMS BILL, 2021

Motion to Consider	775-776
Shrimati Nirmala Sitharaman	774-776
Clauses 2 to 35 and 1	777
Motion to pass	779

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	745
Member-wise Index to Unstarred Questions	746-752

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	753
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	754

[*] Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, August 03, 2021/Sravana 12, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Hibi Eden, Shrimati Harsimrat Kaur Badal, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

11.0 ½ hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 201, श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे।

(Q. 201)

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे : धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, जो कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों के हित के लिए बनाई है … (व्यवधान) लेकिन महाराष्ट्र में पिछले दो सालों से किसानों को इसका फायदा नहीं मिला है। … (व्यवधान) कई बार महाराष्ट्र सरकार को मेरे द्वारा चिट्ठी लिखने के बावजूद भी महाराष्ट्र के किसान, खासकर जलगांव और बुलढाणा जिले के कई किसान इस योजना से वंचित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि वहां के किसानों को इसका लाभ कब तक मिल सकेगा? … (व्यवधान) मेरे द्वारा कई बार इसकी शिकायत करने के बाद राज्य सरकार द्वारा बताया गया है कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिला है, इस वजह से वह भुगतान नहीं कर पा रही है। … (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी**,** माननीय सदस्य ने क्लेम के विषय को लेकर प्रश्न पूछा है। … (व्यवधान) मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में नई फसल बीमा नीति जब से लागू हुई है, उसके बाद से किसानों को क्लेम समय पर मिले, इसको ध्यान में रखकर काम लगातार

आगे बढ़ रहा है। … (व्यवधान) जहां तक महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र राज्य से वर्ष 2020-21 का राज्य अंश अभी आना है, जोकि लगभग 203 करोड़ रुपये है। … (व्यवधान) जब वह भारत सरकार के पास आ जाएगा तो उसके बाद भारत सरकार धनराशि रिलीज कर देगी। … (व्यवधान) दूसरा, अभी जो नुकसान हुआ है और उसका जो आकलन है, वह राज्य सरकार और कंपनी की संयुक्त टीम के माध्यम से किया जा रहा है। वह आकलन जैसे ही आएगा, वैसे ही उसका मुआवजा निश्चित रूप से अनुमन्य हो जाएगा। … (व्यवधान) कुल मिलाकर अभी वहां जो भी विषय पेंडिंग हैं तथा राज्य सरकार का जो अंश आना अभी बाकी है, उसके आते ही भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र के किसानों को उनका क्लेम उपलब्ध करा दिया जाएगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप दूसरा प्रश्न पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं।

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे: सर, जब भी बीमा किया जाता है तो कंपनी को बैंक की तरफ से डेटा दिया जाता है। … (व्यवधान) बैंक कई बार डेटा देने में गलतियां करता है और इसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ता है। … (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि ऐसे वक्त में यदि बैंक गलती करता है, तो उस पर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? … (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी**,** अगर कट ऑफ डेट के बाद वहां की बैंक प्रीमियम कंपनी में जमा करती है तो ऐसी स्थिति में क्लेम की पूरी जिम्मेवारी बैंक की होगी। **…** (व्यवधान) पूरा क्लेम बैंक को देना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार कई बार बीच में प्रयास करके एक-दो दिन या पांच दिन की छूट करवाती है, जिससे कि उनको पूरा क्लेम नहीं देना पड़े। … (व्यवधान) इसके बावजूद भी यदि क्लेम लेट होता है या डेटा की वजह से विलंब होता है, … (व्यवधान) तो इसके लिए 12 प्रतिशत ब्याज के रूप में उनको किसान को चुकाना पड़ेगा। यदि राज्य सरकार इसमें तीन माह से

अधिक की देरी करती है तो उसे भी 12 प्रतिशत ब्याज सहित किसानों को क्लेम देना पड़ता है। … (व्यवधान) यदि बैंक भी गलती करेगा या बैंक के डेटा में कमी रहेगी तो इसके लिए किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। … (व्यवधान) किसानों को पूरा क्लेम मिलेगा और बैंक अगर डेटा एवेलेबल नहीं करवाएगा तो फिर बैंक को क्लेम की पूरी राशि किसान को देनी पड़ेगी। … (व्यवधान) किसानों के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में विशेष रूप से जो नई गाइडलाइन बनी है, उसमें नई फसल बीमा नीति लागू की गई है। … (व्यवधान) उसमें किसानों को विशेष तौर पर सुरक्षित रखा गया है ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं सहना पड़े। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रतापराव जाधव

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती नवनीत रवि राणा।

… (व्यवधान)

श्री प्रतापराव जाधव: मेरा माइक ही चालू नहीं हुआ।… (व्यवधान)

श्रीमती नवनित रवि राणा: महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।… (व्यवधान)

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि बीमा में कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसानों का लेट भुगतान होता है, तो उसके लिए वे बताएं।… (व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र के आसपास कई जिलों में सोयाबीन और मूँग की खेती को 100 परसेंट नुकसान हुआ है।… (व्यवधान) उन किसानों को पिछले वर्ष का भुगतान अभी तक नहीं दिया गया है।… (व्यवधान) क्या सरकार और मंत्री महोदय इसमें कोई एक्शन लेना चाहेंगे? … (व्यवधान)

इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि सरकार फसल बीमा भुगतान तथा इंस्टालमेंट जैसे कार्य 14 अलग-अलग कंपनियों को देती है।… (व्यवधान) क्या सरकार ऐसी कोई सरकारी बीमा कंपनी बनाने पर विचार कर रही है, जिससे सरकार के पैसे डायरेक्ट सरकारी बीमा कंपनियों में जाएं तथा बीमा कंपनियों को जो कमीशन मिल रहा है, उसका लाभ डायरेक्ट किसानों को हो और बीमा कंपनियों को उसका लाभ न हो?… (व्यवधान) किसान बीमा कंपनियों को पैसे देते हैं।… (व्यवधान) छोटी-मोटी त्रुटियों के कारण किसान को उसका बहुत बड़ा नुकसान और बीमा कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होता है।… (व्यवधान) क्या सरकार इस पर कोई विचार कर रही है कि आने वाले समय में सरकारी बीमा कंपनी बनाकर सीधा, डायरेक्ट किसानों को उसका लाभ मिले? … (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी : महोदय**,** माननीय सदस्या ने क्लेम की बात की है।**…** (व्यवधान) अगर किसी भी किसान का क्लेम है, जैसे अगर बैंक उसमें देरी करेगा, तो मैंने इसका पहले ही पूरा जिक्र किया है।… (व्यवधान) कहीं न कहीं राज्य सरकार के प्रीमियम की जो राशि है, अगर वह भारत सरकार को अवेलेबल हो जाएगी, तो वह उसके यहाँ आने के बाद सिर्फ दो या पाँच दिन के अंदर ही अपने हिस्से की राशि जमा करवा देती है और किसान को क्लेम उपलब्ध होता है।… (व्यवधान) इसके मुख्य कारण वहाँ रहते हैं।… (व्यवधान) राज्य का अपनी सब्सिडी के अंदर का पार्ट न देना इसका कारण होता है।… (व्यवधान) कई बार यह स्थिति होती है।… (व्यवधान) कई बार बैंक का डेटा भी सही नहीं होता है।… (व्यवधान) इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है।… (व्यवधान) भारत सरकार हमेशा पहल करते हुए इसे करती है।… (व्यवधान)

दूसरा, जैसा आपने सरकार की कंपनी बनाने का जिक्र किया है।… (व्यवधान) सरकार का कंपनी बनाने का जो विचार है।… (व्यवधान) अगर राज्य सरकार चाहे तो इसके अंदर यह प्रावधान है।… (व्यवधान) राज्य सरकार अगर स्वयं की अपनी बीमा कंपनी बनानी चाहे, तो राज्य सरकार

अपनी इंश्योरेंस कंपनी बना सकती है।... (व्यवधान) यह भारत सरकार की गाइडलाइन में भी है।... (व्यवधान) राज्य सरकार ऐसा कर सकती है।... (व्यवधान) भारत सरकार में ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी हैं।... (व्यवधान) जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वे भारत सरकार की हैं।... (व्यवधान) इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों के अंदर इसका टेंडर होता है।... (व्यवधान) जो कंपनी टेंडर के अंदर जाती है, वह इस काम को करती है।... (व्यवधान) उसके लिए बाकायदा उनके ऊपर यह स्वतंत्रता नहीं है, उन के ऊपर बाकायदा एक लिमिटेशन है।... (व्यवधान) उसके अनुसार ही टेंडर होता है।... (व्यवधान) टेंडर प्रक्रिया में पहले ऐसा था कि किसानों को समस्या आती थी।... (व्यवधान) पहले एक साल के लिए कंपनी का टेंडर होता था।... (व्यवधान) अब इसे बढ़ाकर तीन साल का कर दिया है।... (व्यवधान) तीन साल का टेंडर होने की वजह से वहाँ पर कंपनी अपना खुद का ऑफिस सेटअप करेगी।... (व्यवधान) किसानों की समस्याओं का समाधान करने की उनकी जिम्मेदारी है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है और आज किसानों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे आग्रह करूँगा कि माननीय सदस्यगण आप अपनी-अपनी सीटों पर जाकर विराजें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें। सरकार की जवाबदेही तय करें ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चर्चा नहीं करना चाहते**,** संवाद नहीं करना चाहते हैं। आप तख्तियाँ लाकर संसदीय परम्पराओं का अपमान कर रहे हैं। कृपया**,** आप अपनी**-**अपनी सीटों पर जाइए और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 202, श्री सदाशिव किसान लोखंडे।

(Q. 202)

श्री सदाशिव किसान लोखंडे : महोदय, मेरे क्षेत्र के अहमदनगर जिले में 25 से 30 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है।... (व्यवधान) किसानों को दूध का उचित भाव मिलना चाहिए।... (व्यवधान) मेरे क्षेत्र के अहमदनगर जिले में 25 से 30 लाख लीटर दूध का निर्माण होता है।... (व्यवधान) गाय खरीदने में जो खर्चा आता है।... (व्यवधान) एक गाय खरीदने में एक लाख रुपये का खर्चा आता है।... (व्यवधान) गाय की 17 से 18 साल तक उम्र होती है। वह तीन साल के बाद दूध देना चालू करती है और सात-आठ साल तक दूध देती है। एक गाय का पूर्ण खर्चा करीब एक लाख रुपये आता है।... (व्यवधान) वर्ष 2015 में जो गौहत्या बंदी कानून लागू किया गया, उसे पारित करने के बाद गाय को बेचा नहीं जा सकता है और बेचे नहीं जाने से किसान परेशान हैं।... (व्यवधान) पहले गाय को बेचते समय किसान को तीस से चालीस हजार रुपये मिलते थे। वर्ष 2015 में गौहत्या बंदी होने से, जो बांझ गाय है, जो दूध नहीं देने वाली गाय है, उसको वे बेच नहीं सकते हैं।... (व्यवधान) इससे किसानों को बहुत तकलीफ है। साथ ही दूध उत्पादक किसान के लिए जो चारे का खर्चा है, वह 100 से 150 रुपये रोज का लगता है। जो पशु खाद्य लगता है, उसका करीबन खर्चा यह आता है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप संक्षेप में पूछिए।

... (व्यवधान)

श्री सदाशिव किसान लोखंडे : जो दूध का भाव होता है, वह 18 रुपये मिलता है। मेरा एक प्रश्न है कि जो चारे का खर्चा है, आज डीजल का भाव, मजदूरी का भाव बढ़ा हुआ है और मजदूरी का भाव बढ़ने से किसान बहुत परेशान हैं।... (व्यवधान) दूध का 18 रुपये भाव मिलता है और 20 रुपये खर्चा है। गौहत्या बंदी होने से गाय को बेचते समय उचित भाव नहीं मिलता है।... (व्यवधान) मेरे यहां यह

परिस्थिति है। मेरा सरकार से प्रश्न है कि जो गन्ने का भाव मिलता है**,** वह सरकार ही तय करती है।**...** (व्यवधान)

डॉ. संजीव कुमार बालियान : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। मैं इसके बारे में यही कह सकता हूं कि डेयरी प्रदेश का विषय है।... (व्यवधान) हम उसमें मदद करते हैं। अगर भाव कहीं नहीं मिल रहा है तो कोऑपरेटिव सिटस्म बहुत बड़ा है, जिसमें केन्द्र सरकार मदद करती है।... (व्यवधान) हमारे यहां दो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं**-** डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करीब 11 हजार करोड़ रुपये का है। एनीमल हसबैंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करीब 15 हजार करोड़ रुपये का है।... (व्यवधान) कोऑपरेटिव को लगातार मदद करने का काम केन्द्र सरकार की तरफ से किया जाता है। विशेष रूप से किसी डिस्ट्रिक्ट की कोई समस्या है... (व्यवधान) देखिए, दूध के भाव सरकार द्वारा तय नहीं किए जाते हैं।... (व्यवधान) दूध के भाव मार्किट तय करता है। यह पेरिशएबल आइटम है। कभी भी केन्द्र सरकार की तरफ से दूध के भाव तय नहीं किए जाते हैं।... (व्यवधान) जहाँ तक गौहत्या पर प्रतिबंध की बात है और जो पशु दूध नहीं देते हैं, यह वाकई पूरे देश की एक समस्या है।... (व्यवधान) यह भी कहीं न कहीं प्रदेश सरकार का विषय है, यह मैं कह सकता हूं।... (व्यवधान)

श्री सदाशिव किसान लोखंडे : उसका जो भाव है**,** वह हम ही देते हैं। क्या सरकार दूध का 35 रुपये भाव देगी? यह मेरा पहला प्रश्न है और मुझे पहले प्रश्न का उत्तर चाहिए।**...** (व्यवधान)

डॉ. संजीव कुमार बालियान : माननीय अध्यक्ष जी, दूध की खरीदारी करना उनके डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव का काम है, न कि केन्द्र सरकार का काम है, दूध की खरीदारी करना। हाँ, उनके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव को अगर मजबूत करने की आवश्यकता है, तो उसकी मदद मंत्रालय के द्वारा की जा सकती है।... (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी: अध्यक्ष जी, मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डेयरी और पशुपालन की ट्रेनिंग पहले ओडिशा में होती थी, अब वह प्रशिक्षण केन्द्र चंडीगढ़ में हो गया है।... (व्यवधान) बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह प्रशिक्षण केन्द्र बिहार में लाने की कोई योजना है, क्योंकि इस समय डेयरी के लिए, मत्स्य पालन के लिए लोगों में बहुत उत्कंठा है।... (व्यवधान) लेकिन केन्द्र दूर होने से लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रशिक्षण केन्द्र बिहार में लाने की कोई योजना है? … (व्यवधान)

डॉ. संजीव कुमार बालियान : माननीय अध्यक्ष जी, अगर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है, तो प्रशिक्षण केन्द्र खोलने में मदद करने पर केन्द्र सरकार विचार कर सकती है।... (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी : धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 203, डॉ. राजदीप राय ।

(Q. 203)

डॉ. राजदीप राय : माननीय अध्यक्ष जी, सिल्चर की लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। साउथ असम की इस जगह पर, इस भूखंड से होते हुए चार राज्य मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के रास्ते निकलते हैं।... (व्यवधान) फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टोरेज और गोदाम की प्रक्रिया सन् 2012 में शुरू हुई थी। ... (व्यवधान) सन् 2012 से 2017 तक इस मामले में कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। ... (व्यवधान) हमारी सरकार आने के बाद वर्ष 2017 में लैण्ड एक्विज़िशन की प्रक्रिया शुरू हुई। ... (व्यवधान) यह कहते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी स्लो चल रही है। ... (व्यवधान) जो एनओसी रेलवे विभाग से आने वाला था, वह भी नहीं मिल पा रहा है। ... (व्यवधान) कोविड महामारी के समय, जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, वहां पर फूड ग्रेन्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी काफी देर से पहुंचते हैं, जिसके कारण प्राइस राइज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा उस इलाके में बन गया है। ... (व्यवधान) मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गोदाम और स्टोरेज कैपेसिटी जो एफसीआई के अण्डर है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। ... (व्यवधान) जो तीन पट्टे की ज़मीन है, उस पर रेल विभाग का भी नो ऑब्जेक्शन जल्दी आना चाहिए। ... (व्यवधान) उसके लिए जल्दी से जल्दी इण्टर डिपार्टमेंटल मीटिंग की जानी चाहिए। ... (व्यवधान) इस प्रोजेक्ट का आगे जो भी, जैसा भी करना है, अगर वह किया जाए तो अच्छा होगा। ... (व्यवधान) इससे वहां के चालीस लाख लोगों को बहुत राहत मिलेगी। ... (व्यवधान) साथ ही बगल के जो चार राज्य हैं, वहां के लोगों को भी इससे फायदा होगा। ... (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : अध्यक्ष महोदय**,** माननीय सदस्य असम से आते हैं। ... (व्यवधान) उन्होंने सिल्चर के खाद्य गोदाम की बात की है। ... (व्यवधान) यह बात सही है कि इसके लिए वर्ष 2012 में ज़मीन अधिग्रहण की गई थी। ... (व्यवधान) रेलवे और वहां की सरकार में तालमेल न होने के कारण

उस समय इसका समाधान नहीं निकल पाया था। ... (व्यवधान) लेकिन आज यह बताते हुए मुझे खुशी है कि हमारे मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम की लगभग 50 प्रतिशत राशि जो कि कुल सात करोड़ रुपये बनती है, उसको जमा करा दिया है। ... (व्यवधान) अधिग्रहण के लिए और शेष राशि के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। ... (व्यवधान)

महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करती हूँ कि उन्होंने नॉर्थ-ईस्ट के प्रदेशों को अपने क्षेत्र के साथ शामिल करते हुए यह पूछा है। ... (व्यवधान) महोदय, बहुत ही जल्दी यह प्रक्रिया पूरी होने वाली है। ... (व्यवधान)

डॉ. राजदीप राय : स्पीकर सर, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि उसके लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कब तक मिल सकता है? ... (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : महोदय, मैं मंत्रालय की तरफ से माननीय सदस्य को आश्वस्त करती हूँ कि नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। ... (व्यवधान) आपने स्वयं हमारी सरकार की गतिविधियों की प्रशंसा की है। ... (व्यवधान) यह बात सही है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। ... (व्यवधान) लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस विभाग के माध्यम से सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खाद्य संरक्षण की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर की है। ... (व्यवधान) भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियों से उपलब्ध केन्द्रीय पूल, खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता को 916 लाख 65 हजार मीट्रिक टन तक बढ़ाया है।... (व्यवधान) उत्तर-पूर्व में भी भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों ने इस पर काम किया है। ... (व्यवधान) सरकार ने पूर्व में असम राज्य को छोड़ कर, इस सैक्टर में पीईजी योजना और लैसों के तहत नियोजित, निर्मित, निर्माणाधीन भण्डारण क्षमता एक लाख 61 हज़ार 435 मीट्रिक टन करने की व्यवस्था की है। ... (व्यवधान)

महोदय, असम के माननीय सांसद को मैं आश्वस्त करती हूँ कि आपके सिल्चर का भण्डार बहुत जल्दी ही चालू होने वाला है। … (व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जो गंभीर विषय उठाया है, यह वास्तव में एक उदाहरण है, जो यूपीए की सरकार और जिसके कई माननीय सदस्य आज किसान विरोधी काम कर रहे हैं। … (व्यवधान) किसानों की चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। … (व्यवधान) किसानों की बातचीत देश तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। … (व्यवधान) किसानों का जो सामान एमएसपी पर खरीदा जाता है, वह एफसीआई के गोदाम में रखा जाता है। … (व्यवधान) जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाता है। … (व्यवधान) वैसे भी महत्वपूर्ण विषयों पर इनकी रूचि न होने का यह एक परफेक्ट उदाहरण है। … (व्यवधान) ऐसे ही जो-जो योजनाएं ये घोषित करते थे, उनको कभी क्रियान्वित न करना, यह यूपीए और कांग्रेस की पहचान है। … (व्यवधान)

वर्ष 2012 में इन्होंने गोडाउन्स की स्वीकृति जरूर दी, लेकिन उसके बाद उसके लिए कोई काम नहीं किया।… (व्यवधान) उस समय राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों कॉंग्रेस पार्टी की होने के बावजूद, इस पर कुछ भी काम वर्ष 2016 तक नहीं हो पाया।… (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार के आने के बाद कॉंग्रेस की असम सरकार के साथ बातचीत विफल रही।… (व्यवधान) उसके बाद जब सर्वानन्द सोनोवाल जी की वहां सरकार आई, तब वर्ष 2017 में ही इस पर काम शुरू हो पाया।… (व्यवधान) वर्ष 2017 में इस काम को तेज गति मिली।… (व्यवधान) हमने पैसे भी जमा किए।… (व्यवधान) कुछ लोकल परिस्थितियों के कारण जमीन अधिग्रहण में समय लगा।… (व्यवधान) उसके कारण यह काम आगे नहीं बढ़ पाया और हमें विश्वास है कि लोकल एरिया में हमारे माननीय सांसद हमारी मदद करेंगे, जिससे जल्द-से-जल्द वहां

की जमीन हमें उपलब्ध हो जाए।... (व्यवधान) रेलवे के साथ भी चर्चा चल रही है।... (व्यवधान) मुझे पूरा विश्वास है कि उस चर्चा में भी सामान्य रूप से सफलता मिलेगी और ये गोडाउन्स जल्दी बनेंगे।... (व्यवधान)

पूर्वोत्तर के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने विशेष फोकस किया है।... (व्यवधान) नॉर्थ-ईस्ट के सभी राज्यों में तेज गति से विकास हो, उनके क्षेत्रों में तेज गति से केन्द्रीय योजनाएं पहुंचे, वहां के किसानों का भविष्य भी तेज गति से उज्ज्वल हो, इसके लिए केन्द्र सरकार और अब उत्तर-पूर्व की सभी राज्य सरकारें मिल कर काँग्रेस की विफलताओं को, उनकी नाकामियों को ठीक करने का काम कर रही हैं।... (व्यवधान) उसी श्रृंखला में यह काम भी किया जाएगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नम्बर - 204; एंटो एन्टोनी जी।

(Q.204)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या - 204 का उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 205, श्री राजीव प्रताप रूडी।

(Q. 205)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह सवाल मेरे मन में था और औसतन किसी-किसी विषय पर मैं थोड़ा जांच-पड़ताल करता रहता हूं, अनुसंधान करता रहता हूं।... (व्यवधान) अचानक मेरी रुचि फलों के प्रति हुई और मैंने सोचा कि अपने जीवन में फलों के भी कुछ पेड़ लगाए जाएं।... (व्यवधान) एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे सांसद की तरह मैंने इसका प्रयास किया।... (व्यवधान) इस प्रयास के क्रम में मैंने दिल्ली अवस्थित 'पूसा' संस्थान से सम्पर्क किया।... (व्यवधान) अपने कर्मचारियों को वहां भेज कर उनसे सम्पर्क किया।... (व्यवधान) मुझे आम और अमरूद के कुछ पेड़ चाहिए थे।... (व्यवधान) वहां जब हमारे लोग गए, हमारा माली गया तो ऐसा लगा कि पेड़ देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया जा रहा है।... (व्यवधान) इससे मैं थोड़ा चकित हुआ।... (व्यवधान) फिर मुझसे कहा गया कि अब सीज़न समाप्त हो गया है, अब आप अगले साल के लिए बुकिंग कराइए।... (व्यवधान) फिर हमने अगले साल के लिए एक लिस्ट बनाकर भेजी।... (व्यवधान) मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई और मैं सांसद के रूप में कोशिश करता रहा।... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी की कृपा हुई।... (व्यवधान) इनके ऑफिस को मैंने तीन-चार चिट्ठियां लिखीं, जिन्हें इन्होंने पढ़ा।... (व्यवधान) इनके प्राइवेट सेक्रेटरी से बात हुई।... (व्यवधान) उनसे बात होने के बाद मुझे 50 पेड़ों की अनुमति मिली।... (व्यवधान) मैंने पूछा कि इसे कब लिया जाना है तो यह कहा गया कि आप भारत की किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं।... (व्यवधान)

महोदय, मैं बस एक प्रश्न का उत्तर इनसे पूछना चाहता हूं।... (व्यवधान) मदर प्लांट्स तैयार किए जाते हैं और वे नर्सरीज़ को दिए जाते हैं।... (व्यवधान) हमारे पास वर्ष 2019-20 की नर्सरीज़ की जो सूची है, उसमें 17 स्थान हैं।... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश में 'पूसा' के द्वारा एक भी नर्सरी नहीं दी गयी है, जहां की आबादी 20 करोड़ है।... (व्यवधान) बिहार की आबादी 12 करोड़ है और वहां

हॉर्टीकल्चर के लिए आम, अमरूद, केला, पपीता इत्यादि के मदर प्लांट देने के लिए एक भी नर्सरी नहीं है ।... (व्यवधान) आखिर, इतना बड़ा देश है, कृषि विज्ञान केन्द्र भारतवर्ष में काम करते हैं ।... (व्यवधान) अच्छे फल के पौधे और वृक्ष उनके मदर प्लांट्स से डेवलप किए गए हैं ।... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी इस बात का उत्तर देंगे कि देश के कृषि विज्ञान केन्द्र, जो भारतवर्ष में हैं, उसे अधिकृत करते हुए देश में अच्छे फल के पौधे देने के लिए क्या आप भारत सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव लाकर यह व्यवस्था कायम करना चाहते हैं या नहीं?... (व्यवधान) मैं यह जानना चाहूंगा, क्योंकि आज भारतवर्ष में हमारे फलों का उत्पादन 99 मिलियन टन है और 192 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन है ।... (व्यवधान) स्वाभाविक तौर से फल हैं, जो बिना पकाए खाए जा सकते हैं और हम सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें । क्या आप नीतिगत तौर पर ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें ।

... (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि रूडी साहब ने कहा कि मैं रिसर्च करता रहता हूँ, निश्चित रूप से इनकी जो समस्या है या उन्होंने जो जिक्र किया है, उस जिक्र को लेकर मैं कहना चाहूँगा ।... (व्यवधान) उन्होंने मदर प्लांट की बात की है । हमारा जो नेशनल एग्री रिसर्च सिस्टम है, उसके तहत आईसीएआर है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और सेन्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ।... (व्यवधान) कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा रिसर्च किया जाता है कि नई वेरायटी हो और वह उच्च गुणवत्ता की हो ।... (व्यवधान) उन वेरायटिज़ को तैयार करने के बाद उनका मदर प्लांट तैयार किया जाता है ।... (व्यवधान) मदर प्लांट तैयार करने के बाद उसको नर्सरी में उपलब्ध करवाया जाता है ।... (व्यवधान) उसके द्वारा टिश्यू कल्चर के माध्यम से एवं अन्य प्रकार से पौधे तैयार करके आगे

किसानों तक या जिसको भी आवश्यकता होती है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है ।... (व्यवधान) उसके लिए भारत सरकार की ओर से जो नर्सरीज़ होती हैं, उनको सहायता प्रदान की जाती है। अगर छोटी नर्सरी होती है तो उनको दस लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है ।... (व्यवधान) अगर राज्य सरकार करती है तो वह 100 परसेंट है। उस नर्सरी की शत-प्रतिशत सहायता करते हैं ।... (व्यवधान) अगर बड़ी नर्सरी है तो 16 लाख रुपये तक की व्यवस्था है ।... (व्यवधान) अगर हाईटेक नर्सरी है तो 40 लाख रुपये तक सहायता प्रदान की जाती है ।... (व्यवधान) अगर कोई व्यक्तिगत नर्सरी लगता है तो उसके लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है ।... (व्यवधान) अगर उच्च घनत्व वाले वृक्ष हैं तो उनके लिए भी 30 हजार रुपये का प्रावधान है। अगर 10 हजार से 12 हजार रुपये के पौधे प्रति हेक्टेयर लगाने हैं तो उसके अंदर 35 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है ।... (व्यवधान) वहीं अगर आप 1500 से अधिक वृक्ष लगाते हैं तो वहाँ पर 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता प्रदान की जाती है ।... (व्यवधान) इसमें विशेषकर राज्य के बारे में, जैसा मैंने कहा कि राज्यों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। ... (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने कृषि विज्ञान केन्द्र पर पौधों की व्यवस्था करने के बारे में कहा है ।... (व्यवधान) जो मदर प्लांट्स हैं, वे हमारे आईसीएआर और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा तैयार किए जाते हैं ।... (व्यवधान) कृषि विज्ञान केन्द्र भी मदर प्लांट तैयार करती है, जिसके बारे में मैं आँकड़ों के साथ बताना चाहता हूँ ।... (व्यवधान) अभी तक टोटल मिलाकर जो मदर प्लांट्स हैं, पिछले दो सालों में लगभग 87,212 प्लांट्स वितरित किए गए हैं ।... (व्यवधान) देश के अंदर लगभग 7.45 करोड़ प्लांटिंग मैटेरियल का वितरण किया गया है ।... (व्यवधान) कुल मिलाकर, जैसा मैंने जिक्र किया कि मदर प्लांट और प्लांट मैटेरियल के द्वारा 7.45 करोड़ पौधों का वितरण हुआ है ।... (व्यवधान) मैं सोचता हूँ कि इसमें आईसीएआर के माध्यम से भी पौधों की व्यवस्था है ।... (व्यवधान) दूसरी जगहों पर जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी मदर प्लांट के साथ टिश्यू कल्चर के माध्यम से पौधे तैयार

करके उपलब्ध करवाये जाते हैं।… (व्यवधान) लेकिन, आईसीएआर का काम रिसर्च करना है और रिसर्च करके नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए किस्म के पौधे तैयार किए जाते हैं।… (व्यवधान) आगे का जो काम है, उसमें नर्सरी के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाने की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी भारत सरकार समय-समय पर प्रयास करती है।… (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सा सवाल था और पूरे मंत्रालय के तथ्य मेरे सामने रख दिए गए हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मंत्री जी ने अपने सब विषयों को रख दिया। मैं साधारण-सा विषय पूछ रहा हूँ।… (व्यवधान) मैंने आपसे इतना पूछा कि हम नर्सरी से पौधा लेकर जाते हैं, तीन साल तक उसको सेवतें हैं और पता चलता है कि उसमें फल ही नहीं आया।… (व्यवधान) आखिर उस किसान का क्या कसूर है? मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूँ कि आप लाखों पौधे कहाँ बेचते हैं, किसको बेचते हैं, उससे हमारा मतलब नहीं है।… (व्यवधान) आप किसानों को आम, लीची के जो पौधे देते हैं, क्या वह सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं? … (व्यवधान) तीन साल के बाद जब मैं उसको सेव कर देखूँ तो मुझे आनंद हो कि मैंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ लगाया है। उसमें सर्टिफिकेशन की क्या व्यवस्था है? … (व्यवधान) आप जो मदर प्लांट देते हैं, उससे जो सीड बनता है, उस सीड के बारे में नर्सरी में सर्टिफिकेशन की क्या व्यवस्था है?… (व्यवधान) अगर तीन साल के बाद उसके अनुरूप फल नहीं निकलता है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हैं, किसानों को क्या प्रोटेक्शन देते हैं? … (व्यवधान) क्या किसी कृषि विज्ञान केन्द्र को इसकी जिम्मेदारी आप देना चाहेंगे? यह सीधा सवाल है।… (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय सदस्य की चिंता निश्चित रूप से बहुत वाजिब है।**…** (व्यवधान) सदस्य को पौधा प्राप्त करने में जो कठिनाई हुई**,** वह निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए थी।… (व्यवधान) मैं इस मामले में सदस्य की बात से पूरी तरह से सहमत हूं।…

(व्यवधान) जैसा कि मैंने और हमारे मंत्री जी ने जवाब में बताया कि कुल-मिलाकर आईसीएआर, पूसा इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केवीके और राज्य सरकार, यह एक पूरी प्रक्रिया है ।...(व्यवधान) कुल-मिलाकर आईसीएआर से लेकर केवीके तक, ये सारे के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ।...(व्यवधान) रिसर्च करने के बाद मदर प्लांट तैयार करना और वह राज्य सरकार व नर्सरी को देना, इसमें दिक्कत इसलिए आई कि सामान्य तौर पर पहले नर्सरीज़ रजिस्टर्ड हों और नर्सरीज़ में जो पौधे बन रहे हैं, वे प्रामाणिक हों, यह व्यवस्था कमजोर थी ।...(व्यवधान) जैसा आपने अभी व्यक्त किया कि बिहार में सिर्फ 17 नर्सरीज़ ही थीं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने नर्सरीज़ को रजिस्टर्ड करना प्रारम्भ किया है और इसमें 691 नर्सरीज़ देश भर में रजिस्टर्ड हुई हैं ।... (व्यवधान) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में भी एक पोर्टल बनाया है ।...(व्यवधान) इस पोर्टल में एक हजार से ज्यादा नर्सरीज़ ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है ।...(व्यवधान) अब इन नर्सरीज़ की संख्या बढ़ रही है । जैसा मंत्री जी ने बताया कि नर्सरीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए हम सहायता भी देते हैं ।...(व्यवधान) नर्सरीज़ का रजिस्ट्रेशन हो, उनकी जानकारी राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र को भी हो और उनके प्रत्यावहन की व्यवस्था हो, यह कमजोर थी, इसको अब सशक्त बना दिया गया है ।... (व्यवधान) मुझे लगता है कि देश भर में जहां-जहां प्लांट उपलब्ध होंगे, वहां प्रामाणिक रूप से पौधे उपलब्ध होने में कोई कठिनाई नहीं होगी । ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 206, श्रीमती केशरी देवी पटेल ।

(Q. 206)

श्रीमती केशरी देवी पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय किसान कल्याण मंत्री जी और देश का चौमुखी विकास करने वाले माननीय प्रधान मंत्री जी को मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई देती हूं। **…**(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश किसान उत्पादन संगठन को सरकार किस-किस फसल के लिए क्या-क्या सहयोग दे रही है और कौन-कौन किसान उत्पादन संगठन अपना उत्पादन विदेश में बेच रहे हैं? …(व्यवधान) इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है? …(व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ के बारे में जिक्र किया गया।**…**(व्यवधान) यह प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की महत्वपूर्ण स्कीम है।…(व्यवधान) आने वाले समय में किसानों की इनकम डबल करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।…(व्यवधान) इसी को लेकर जैसा इन्होंने जिक्र किया कि पर्टिकुलर इस स्थान पर कौन से पौधे या कौन सी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना है, तो मेरा इसमें यही कहना है कि किसान उत्पादन संघ या जो किसान समूह बनेगा, इसमें दस हजार एफपीओज़ बनेंगे। …(व्यवधान) सरकार की योजना है कि आने वाले समय में प्रत्येक ब्लॉक पर एक एफपीओ बने, जिसके अन्दर किसान जो चाहे, अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है। …(व्यवधान) वहां पर अपने उत्पादन की मार्केटिंग या पैकेजिंग करके, वह उसे मार्केट में अच्छे रेट पर बेच सकेगा। …(व्यवधान) यह अपने एफपीओ और किसान समूह के ऊपर डिपेंड है कि वहां की जो अधिकतम फसल होती है, उसी फसल को आधार मानते हुए, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं और समूह बना सकते हैं।…(व्यवधान) अलग-अलग क्षेत्र के अनुसार हम आर्गेनिक पर भी काम कर रहे

हैं।...(व्यवधान) हनी के लिए भी अलग एफपीओ बनाये जा रहे हैं। अगर स्पेशल इनके क्षेत्र का है, तो उसका इनको ही तय करना होता है। इसके बावजूद भी, अगर इनका कोई अलग से इश्यू होगा और वे व्यक्तिगत पूछेंगे, तो उसमें पर्टिकुलर कौन सी एजेंसी काम कर रही है, वह भी बता दिया जाएगा।

श्रीमती केशरी देवी पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूं। मेरे जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आलू एवं अमरूद की खेती विशेष होती है, परन्तु उचित रख-रखाव नहीं होने के कारण फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।...(व्यवधान) क्या सरकार इन कृषि उत्पादन संगठनों को जोड़कर विशेष सहयोग करने पर विचार कर रही है? ...(व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी: अध्यक्ष महोदय, एफपीओ के अंतर्गत सहायता का प्रावधान है। एफपीओ के लिए दो करोड़ रुपये तक एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बिना मॉर्गज पैसे देने का प्रावधान किया गया है। ... (व्यवधान) अगर वहां कोल्ड स्टोरेज या वेयरहाउस बनाना चाहें या प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहें तो प्रधानमंत्री जी ने एक लाख करोड़ रुपये एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उपलब्ध कराये हैं। उसी से अगर आलू, प्याज या अमरूद के लिए स्टोरेज की व्यवस्था करना चाहें तो उसके लिए सब्सिडी देने का भी प्रावधान है। इसके लिए सब्सिडी अलग से एवेलेवल करायी जाती है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से भी एफपीओ को मजबूत करने के लिए जो भी सहायता होती है, वह भारत सरकार करती है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री कनकमल कटारा जी।

... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं … (व्यवधान) क्योंकि आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। … (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एफपीओ बनाने की क्या गाइडलाइन है? मेरी निर्वाचन क्षेत्र, जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, छोटी जोत भी है। वहां एफपीओ के लिए न्यूनतम संख्या एवं विशेष अनुदान की कोई व्यवस्था बनी है? यदि हां तो क्या व्यवस्था होगी और नहीं तो क्यों?

इसके साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा-डूगरपुर में मक्का की उपज बांसवाड़ा-धारोड़, कुशलगढ़, भागीदारा गढ़ी में अत्यधिक मात्रा में हो रही है, … (व्यवधान) परंतु खरीद केन्द्र की व्यवस्था नहीं होने के कारण कास्तकारों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है।

क्या माननीय मंत्री जी इस हेतु किसान उत्पादन संगठनों को प्रेरित करते हुए खरीद केन्द्र बांसवाड़ा में स्थापित करेंगे? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री कैलाश चौधरी: अध्यक्ष महोदय**,** माननीय सदस्य जी ने एफपीओ की गाइडलाइन के बारे में पूछा है। यह वास्तव में किसानों की इनकम डबल करने के लिए महत्वपूर्ण योजना है। जब पहले एफपीओ बनता था तो उसके लिए कम से कम एक हजार की संख्या होनी जरूरी थी। लघु और सीमांत किसानों के लिए हमने प्रावधान किया है कि अब एक हजार की जगह तीन सौ किसान अगर समूह बनाकर एफपीओ बनाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद उनको सहायता मिलती है।

उसके लिए नेशनल एजेंसी भी बनी हुई है**,** … (व्यवधान) सीबीओ इम्पिलमेंटेशन एजेंसी है, नेफड है, एनसीडीसी है, एसएफसी, नाबार्ड है, इस तरह स्टेट की भी एजेंसी है, जो इसका रजिस्ट्रेशन करती है और उसके बाद एफपीओ में किसान को पन्द्रह लाख रुपये इक्विटी ग्रांट के तौर पर उपलब्ध

कराये जाते हैं। अट्ठारह लाख रुपये एफपीओ को सपोर्ट के लिए दिए जाते हैं। यह सपोर्ट तीन साल के लिए होता है।

इसी तरह से एफपीओ के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, उसके अंदर दो करोड़ रुपये की सहायता एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से एवेलेवल करायी जाती है। मैं समझता हूं कि इनकी चिंता निश्चित रूप से वाजिब है। एफपीओ देश भर में बन रहे हैं, प्रत्येक ब्लॉक में बन रहे हैं।

माननीय सदस्य ने मक्का खरीद का जिक्र किया। अगर किसान एफपीओ प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर खुद सेल करेंगे, किसान की सीड्स और सेल को लेकर भी एफपीओ चिंता कर सकता है। उसकी इम्पिलेमेन्टिंग एजेंसी सीबीओ उनको ट्रेनिंग भी देगा… (व्यवधान) उसके अंदर एग्रीकल्चर का एक्पर्टीज भी होगा, मार्केटिंग की एक्सपर्टीज होगा। मार्केटिंग के अलावा किस तरह से उनको सेल करनी है, इसके लिए सारा प्रावधान किया गया है। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सभी को जोड़ते हुए हम किसानों की इनकम डबल कर सकते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज मैंने सदन में सात से ज्यादा किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दे लिए हैं। मैं चाहता था कि किसानों के मुद्दों पर आप प्रश्न काल में माननीय मंत्री जी से सवाल पूछें और उनकी समस्या का समाधान हो। लेकिन आप किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, संवाद नहीं करना चाहते हैं, तख्तियां लहरा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह सदन आपका है, इसका सम्मान और मर्यादा करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको देश की जनता ने इसलिए चुनकर भेजा है कि आप अपनी बात रखें, किसानों के मुद्दे पर बात रखें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप नारेबाजी कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

---

[*]WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS
(Starred Question Nos.207 to 220
Unstarred Question Nos.2301 to 2530)
(Page No.37 to 695)

[*] Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

11.40 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

12.0 ½ hrs

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Ravneet Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, Hon. Speaker has received notices of Adjournment Motion from some Members on different issues. He has disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नंबर 2 से 13.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री मनसुख मांडविया जी की ओर से, मैं कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4482/17/21]

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (लेखांकन, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2021 जो 9 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 396(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर **रखता हूं।**

[Placed in Library, See No. LT 4483/17/21]

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन को हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2021 जो 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2871 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4484/17/21]

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, साध्वी निरंजन ज्योति जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4485/17/21]

(3) गन्ना विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गन्ना विकास निधि (संशोधन) नियम, 2021 जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 210(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4486/17/21]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2071(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4487/17/21]

(5) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी-17(1)2020 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी.14(1)2017 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या ईपी.1(1)2015(पीटी.) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4488/17/21]

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, डॉ. संजीव कुमार बालियान जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) ऐनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऐनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4489/17/21]

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चंडीगढ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) चंडीगढ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4490/17/21]

(3) कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 4491/17/21]

… (<u>व्यवधान</u>)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, कुमारी शोभा कारान्दलाजे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2001-2002 से 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2001-2002 से 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4492/17/21]

(ख) (एक) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2004-2005 से 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2004-2005 से 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4493/17/21]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 21 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आन्ध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आन्ध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4494/17/21]

(ख) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4495/17/21]

(ग) (एक) महाराष्ट्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 4 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4496/17/21]

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1542(अ) जो 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 8 सदस्यों वाली सेंट्रल बायोस्टीमुलेंट कमेटी का गठन किया गया है।

(दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2021 जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2126(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका शुद्धिपत्र जो 18 जून,2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2416(अ)में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ.2127(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित उर्वरकों की विशिष्टताओं को अधिसूचित किया गया है।

(चार) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2333(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) पांचवा संशोधन आदेश, 2021 जो 2 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2671(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4497/17/21]

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री कैलाश चौधरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4498/17/21]

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय**,** श्री ए**.** नारायणस्वामी जी की ओर से**,** मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त और विकास निगम, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त और विकास निगम, दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4499/17/21]

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अजय मिश्र टेनी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4500/17/21]

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री भगवंत खुबा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4501/17/21]

(3) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4502/17/21]

(5) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हाजीपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4503/17/21]

(7) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4504/17/21]

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, कुमारी प्रतिमा भैमिक जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4505/17/21]

… (व्यवधान)

12.02 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 14.

महासचिव ।

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 2^{nd} August, 2021 agreed without any amendment to the Inland Vessels Bill, 2021 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 29^{th} July, 2021."

… (व्यवधान)

12.02 ¼ hrs

COMMITTEE OF PRIVILEGES
2nd and 3rd Reports

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

... (व्यवधान)

12.02 ½ hrs

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
45th to 47th Reports

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) "रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 45वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार किए गए)" के बारे में 46वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)" के बारे में 47वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

... (व्यवधान)

12.02 ¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
32nd to 39th Reports

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance:-

(1) Thirty-second Report on the subject 'Implementation of Insolvency and Bankruptcy Code-Pitfalls and solutions' of the Ministry of Corporate Affairs.

(2) Thirty-third Report on Action Taken by the Government on Recommendations contained in 68th Report (Sixteenth Lok Sabha) on subject 'Banking Sector in India - Issues, Challenges and the Way Forward with specific reference to NPAs/Stressed Assets in Banks/Financial Institutions' of the Ministry of Finance (Department of Financial Services).

(3) Thirty-fourth Report on Action Taken by the Government on Recommendations contained in 12th Report on 'Financing the Startup Ecosystem' of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs and Revenue) and Ministry of Commerce (Department for Promotion of Industry and Internal Trade).

(4) Thirty-fifth Report on Action taken by the Government on the recommendations contained in 25th Report on Demands for Grants (2021-22) of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, and Investment and Public Asset Management).

(5) Thirty-sixth Report on Action taken by the Government on the recommendations contained in 26th Report on Demands for Grants (2021-22) of the Ministry of Finance (Department of Revenue).

(6) Thirty-seventh Report on Action taken by the Government on the recommendations contained in 27th Report on Demands for Grants (2021-22) of the Ministry of Corporate Affairs.

(7) Thirty-eighth Report on Action taken by the Government on the recommendations contained in 28th Report on Demands for Grants (2021-22) of the Ministry of Planning.

(8) Thirty-ninth Report on Action taken by the Government on the recommendations contained in 29th Report on Demands for Grants (2021-22) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

… (व्यवधान)

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
25th Report

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): महोदय, मैं 'बढ़ती हुई बेरोजगारी पर कोविड-19 का प्रभाव तथा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार/आजीविका का जाना' विषय के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

... (व्यवधान)

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
Statement

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, मैं जल शक्ति मंत्रालय – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2019-20) और (2020-21)' विषय के बारे में क्रमश: पहले और तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी छठे और आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Statements

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के 'बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)/प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजना' के बारे में समिति (2017-18) के 62वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2018-19) के 66वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार दवारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2020-21)' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) 17वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार दवारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

… (व्यवधान)

12.04 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
298th Report

श्री रामदास तडस (वर्धा) : सभापति महोदय**,** मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 'पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2021-22) संबंधी समिति के 288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में 298वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

12.05 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)Status of implementation of the recommendations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare*

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : सभापति महोदय, मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4472/17/21.

12.06 hrs

(ii)(a)Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Social Justice & Empowerment on Demands for Grants (2019-2020) pertaining to the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :-

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(b) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Social Justice & Empowerment on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :-

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

... (व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4473/17/21 and 4474/17/21 respectively.

<u>12.07 hrs</u>

(iii)Status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : सभापति महोदय, मैं उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

… (<u>व्यवधान</u>)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4475/17/21.

12.08 hrs

(iv)Status of implementation of the recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) : सभापति महोदय, मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

… (व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4476/17/21.

12.08 ½ hrs

(v)Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 228th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 222nd Report of the Committee on the 'Management of Worsening Traffic situation in Delhi' pertaining to the Ministry of Home Affairs*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली में बिगड़ती हुई यातायात स्थिति का प्रबंधन' के बारे में समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

... (व्यवधान)

12.09 hrs

(vi) Status of implementation of the recommendations contained in the 224th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Ministry of Home Affairs*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 224वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

... (व्यवधान)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4477/17/21 and 4478/17/21 respectively.

<u>12.09 ½ hrs</u>

(vii) (a)Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Chemicals & Fertilizers on Demands for Grants (2019-2020) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI BHAGWANTH KHUBA): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Chemicals & Fertilizers on Demands for Grants (2019-2020) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4479/17/21.

(b)Status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Chemicals & Fertilizers on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI BHAGWANTH KHUBA): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Chemicals & Fertilizers on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

… (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4480/17/21.

माननीय सभापति : डॉ. एल. मुरुगन।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी-अपनी सीट्स पर जाएँ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.01 hrs

The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

… (व्यवधान)

14.0 1½ hrs

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Hibi Eden, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

<u>14.02 hrs</u>

MATTERS UNDER RULE -377*

माननीय अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अन्दर व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आपको चर्चा करनी है तो आप अपनी सीट पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अपनी सीट पर जाइए, वहां से बोलिए। मैं आपको मौका दूंगा। आप जाइए।

… (व्यवधान)

* Treated as laid on the Table.

(i) Regarding implementation of Ayushman Bharat Yojana in West Bengal

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मैं सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री जी की अति महत्वकांक्षी योजना आयुष्मान भारत की ओर दिलाना चाहता हूं। इस योजना के माध्यम से देश के गरीब लोगों में जीवन स्वास्थ्य और खुशहाली आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से इस देश में आयुष्मान भारत योजना संचालित हो रही है जिसके तहत गरीबों को 5 लाख तक की चिकित्सा केन्द्र सरकार द्वारा निःथल्क उपलब्ध कराई जाती है किंत अत्यंत खेद पूर्वक बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस योजना का अपने प्रदेश में लागू नहीं किया गया है जिसके कारण पश्चिम बगाल के करोड़ों गरीब इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं और समुचित इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी आयुष्मान भारत योजना को संचालित कराने के लिए यथोचित कार्रवाई किया जाए।

(ii)Need to provide stoppage of train Nos. 05113/14 and 55007/08 at Taraiya Sujan Railway Station in Deoria district, Uttar Pradesh

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरें लोकसभा क्षेत्र देवरिया जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत तरया सुजान रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का अंतिम स्टेशन होने के कारण यहाँ से लगभग 50 ग्राम सभा के लोग ट्रेन मार्ग से ही जुडे है, जिसकी आबादी लगभग पचास हजार से दो लाख के बीच है। यहाँ दियारा क्षेत्र के अहिरौलीदान, बाकखाश, विरवट, बाघाचौर, सिसवा नाहर, मठिया श्रीराम, जमसड़िया, रामपुर बंगरा आदि गाँव के लोग इलाज एवं रोजगार के लिए तरया सुजान रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकडते है। ट्रेन के अलवा इनके पास यातायात का कोई दूसरा साधन नहीं है, जिस वजह से यहाँ की स्थानीय जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनहित को ध्यान में रखते हुए तरया सुजान रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव होना अत्यंत अवश्यक है।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि तरया सुजान रेलवे स्टेशन पर छपरा वाया गोमतीनगर ट्रेन संख्या 05113/05114 तथा गोरखपुर वाया पाटलिपुर ट्रेन संख्या 55008/07) का ठहराव कराने की कृपा करें।

(iii)Need to enhance the minimum pension under Employees' Pension Scheme

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली वर्तमान न्यूनतम राशि (ईपीएस)1000 रुपये हैं जो वर्तमान परिस्थिति और कालखंड के अनुसार काफी कम है। निरंतर बढ़ती महंगाई तथा आधारभूत वस्तुओं की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण 1000 रुपये की राशि बहुत ही छोटी एवं असमर्थ लगती है। वर्तमान वैश्विक महामारी ने इस संकट को और अधिक असहनीय बना दिया है तथा 1000 रुपये की राशि की क्रय शक्ति को संकुचित कर दिया है।

उपरोक्त परिस्थिति को मद्देनजर में रखते हुए इस राशि को तत्काल बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दी जाए । जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठनके (ईपीएफओ) सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने2019 में न्यूनतम राशि में वृद्धि की सिफारिश की थी । इसके पश्चात संसद की स्थायी समिति की ओर से भी न्यूनतम राशि में वृद्धि के लिए श्रम मंत्रालय को निर्देश दिए गए थे । किंतु आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है । अतः केंद्र सरकार से नम्र निवेदन है कि व्यापक जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त राशि को-बढ़ाकर 3000 रुपये न्यूनतम तत्काल प्रभाव से क्रियान्वित कर दिया जाना चाहिए ।

(iv)Regarding implementation of 'Patmada Pump Nahar' scheme in Jharkhand

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों से मैं एक सिंचाई योजना के निर्माण के लिए प्रयासरत हूं। मुझे बताया गया कि नीमडीह, वामनी, बोड़ाम एवं पटमदा क्षेत्र स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के कमांड क्षेत्र से बाहर है। इन क्षेत्रों के आदिवासी, पिछड़े एवं गरीब किसान सब्जी की खेती प्रचुर मात्रा में करते हैं तथा इसकी आपूर्ति जमशेदपुर आसपास के इलाकों में बेचकर अपना गुजारा करते हैं। यदि इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाय तो क्षेत्रों के किसानों का आर्थिक विकास होगा तथा रोजगार की खोज में बहुत हद तक इनका पलायन भी रुक जाएगा।

उपरोक्त संबंध में मैंने जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के सचिव से दिनांक 7.4.2021 को मिला था। सचिव के द्वारा इस संबंध में मुख्य अभियंता चांडिल कंपलेक्स जमशेदपुर को योजना बनाने का निदेश दिया गया है। मुख्य अभियंता द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चांडिल जलाशय योजना से पंप कर एक लाइक इरीगेशन की योजना परिकल्पित की गई है जिससे लगभग 12000 से 15000 हेक्टेयर भूमि मैं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी तथा लगभग 6000.00 करोड़ रुपए व्यय होगा । इस योजना का नाम पटमदा पंप नहर रखा गया है। इस योजना का विस्तृत सर्वेक्षण एवं डीपीआर इत्यादि बनाने का कार्य बरसात के बाद किया जाएगा।

अतः माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध है कि इस योजना के त्वरित कार्यवाही हेतु जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार को स्मरण कराने की कृपा की जाए।

(v) Regarding establishment of a Postal Head office at Yadagir city, Karnataka

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister towards the fact that Yadagir District in the Karnataka was formed 11 Years ago after bifurcation of District Kalaburagi. Now, it is having 6 Talukas, City Corporations & Municipal Corporation. But till date the District does not have Postal Head Office at the District Headquarters. For all the major postal department works, the people of this district have to go to Kalaburagi City which is around 100 Kms from the Yadagir City & around 160 Kms from few Taluka Places. People of this district are finding huge difficulties to meet their Postal Department works.

Therefore, I urge the Hon'ble Minister to look into this matter at the earliest and establish a Postal Head Office at Yadagir City and do the needful.

(vi)Need to construct pit line at Latur Railway Station, Maharashtra

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): रेलवे द्वारा 2019 में लातूर स्टेशन पर पिटलाइन बनाने का अनुमोदन किया गया था। परंतु बजट में इस हेतु धनराशि आबंटन नहीं किए जाने के कारण अब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जनता की मांग पर जब भी मैं लातूर स्टेशन से नई रेल आरंभ किए जाने अथवा यात्री सुविधाओं के बारे में कोई मांग उठाता हूं तो मुझे यही जवाब दिया जाता है कि स्टेशन पर आवश्यक सर्विस लाइन नहीं होने के कारण यह संभव नहीं है। इस कारण विगत 70 साल से यहां पर कोई नई रेल शुरू नहीं की गई है।

लातूर स्टेशन पर यात्री व माल का आवागमन विगत कई सालों से काफी बढ़ गया है। रेल कोच फैक्ट्री के शुरू हो जाने से भी यहां यात्री सुविधाओं के तत्काल विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पिट लाइन के बन जाने से न केवल यात्रियों की मांग व आवश्यकता के अनुरूप यहां से नई रेल शुरू करने की सुविधा हेा पाएगी अपितु मराठवाड़ा के लोगों को देश के विभिन्न स्थानों पर आने-जाने के लिए यहां से आवश्यक नई रेल शुरू करना संभव हो जाएगा। मुझे आश्वासन दिया गया था कि 2020 में पिट लाइन के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर इसका निर्माण कर दिया जाएगा परन्तु धन के प्रावधान नहीं होने के कारण इस पर निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। डीआरएम,सोलापुर से पूछे जाने पर उनका यही जवाब होता है कि बजट प्रावधान होने के बाद ही इस का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस साल अर्थात् 2021-22 के बजट में भी इसके निर्माण हेतु धनराशि आबंटन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस साल के बजट में लातूर स्टेशन पर पिट लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर इसका

निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए ताकि मराठवाडा की जनता की मांग के अनुसार लातूर स्टेशन से नई रेल शुरू करना तथा अन्य यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाना संभव हो सके।

(vii)Regarding reinstating the 11 left-out Gorkha sub-tribes as STs

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Patriotism and valour of Gorkha community is not hidden from anyone, what is hidden is their struggles and the alleged discrimination they face.

Gorkha community was compositely recognized as “Hill Tribes” till Independence. However, after Independence, their “Hill Tribes” status was taken away, without any consultation with the community.

Over the course of time, out of 18 sub-tribes, 7 have been accorded ST status, two as recently as 2001. But 11 sub-tribes are still struggling for the recognition of their identity.

This has resulted in social marginalization of the Gorkhas.

Sikkim State Assembly passed a resolution to include these 11 left-out Gorkha sub-tribes as ST in January 2021 and WB State Cabinet in 2014.

Gorkhas have patiently waited for justice for a long time.

There is urgent need for reinstating the 11 left-out Gorkha sub-tribes as ST in order to provide them constitutional protection. I request the Union Government to expedite the process.

(viii)Need to set up a Mini Food Park in Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency, Haryana

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़):मेरा संसदीय क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है । इस क्षेत्र में हरी सब्जियां (जैसे टमाटर, आलू, प्याज) व फल आदि बहुत अधिक मात्रा में होते हैं । रेल व राष्ट्रीय राजमार्ग की भी अच्छी कनेक्टिविटी है । लोजेस्टिक हब, कोल्ड स्टोरेज, आई.एम.टी. खुडाना आदि भी है । दिल्ली एन.सी.आर. का हिस्सा है व राजस्थान बोर्डर के साथ साथ लगता है । अगर एक मिनी फूड पार्क संसदीय क्षेत्र में बन जाए तो किसानों को सब्जियों व फलों के अच्छे दाम व बहुत ज्यादा मात्रा में रोजगार मिल जाएगा । इसका फायदा न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र भिवानी – महेन्द्रगढ़ को होगा बल्कि राजस्थान – दिल्ली व मुंबई व देश के अन्य शहरों तक होगा क्योंकि संसदीय क्षेत्र के नांगल चौधरी में दिल्ली – मुंबई कॉरीडोर व लोजोस्टिक हब बनाया जा रहा है । इसलिए मेरा निवेदन है कि एक मेगा फूड पार्क का निर्माण भिवानी – महेन्द्रगढ़ में भी कराया जाए ।

(ix)Need to develop Ratanpur in Bilaspur district, Chhattisgarh as a tourist place

श्री अरूण साव (बिलासपुर): रतनपुर, जिला – बिलासपुर प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ (छत्तीसगढ़) की राजधानी रही है ।यह एक धार्मिक , पौराणिक एवं ऐतिहासिक शहर है । जहां पर अनेक प्राचीन मंदिर, किला, भवन, तालाब आदि स्थित है । नवरात्रि पर्व के समय यहाँ माँ महामाया के दर्शन हेतु लाखों श्रद्धालु आते हैं । इस प्रकार रतनपुर में एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं । अतः मैं केंद्र सरकार से एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर रतनपुर जिला – बिलासपुर को सर्वसुविधा युक्त पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की मांग करता (छत्तीसगढ़) हूँ।

(x) Regarding enhancement of Pension under EPS-1995

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): मैं माननीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री जी का ध्यान कर्मचारी भविष्य निधि योजना ई0पी0एस0 95 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, इस समय देश में पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 67 लाख है । ये पेंशनधारी कर्मचारियों को रू 1000/- प्रति माह की दर से पेंशन प्राप्त हो रही है ।

इस बात से आश्चर्य होगा कि यह पेंशन कई राज्य सरकारों द्वारा अपनेअपने राज्यों में प्रारम्भ की गयी बृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन, इत्यादि से भी कम है । मैं सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि इन पेंशनरों की पेंशन को रू 1000/- से बढ़ाकर रू 3000/- किये जाने और इसके साथ ही इसे मूल्य बृद्धि सूचकांक से जोड़ते हुए मंहगाई दिये जाने की सिफारिश कोश्यारी संसदीय समिति ने 2012 में की थी । परंतु इस सिफारिश पर अभी तक सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

इन पेंशनरों का संगठन एन.ए.सी. पिछले 900 दिनों से अधिक समय से यह पेंशन रु. 7500/- किए जाने की मांग के समर्थन में बुलढाणा महाराष्ट्र में निरंतर भूख हड़ताल कर रहा है।

मैं मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हॅू कि हमारी सरकार गरीबों की संरक्षक है और उनके हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है । इसलिए मंत्रीजी से निवेदन है कि वे इन मजदूरो की इस मांग पर तत्परता से विचार करें ।

(xi) Regarding financial assistance to hand-woven textile industry in West Bengal

SHRI JAGANNATH SARKAR (RANAGHAT): The Government is aware that the country is going through Covid pandemic for more than one a year. Shantipur, Eulia in my constituency are well known places for hand woven textile industry. This industry is popular in Shantipur, Fulia, Nabadwip, Ranaghat, Birnagar, and vast areas of Krishnanagar in Nadia district. Almost 6 Lakh people of the entire West Bengal are associated with this industry, out of which, in Nadia district only, there are two lakh seventy thousand people, who are directly involved in this sector. One Lakh Fifty Six Thousand people are men and one Lakh Thirteen Thousand are women. It is unfortunate that during these difficult times, the condition of the weaving industry has become extremely bad and the financial condition of the people associated with this sector has also worsened. These weavers are gradually shifting to other trades. If this continues, this hand woven textile sector will get obliterated. Particularly, this pandemic has come as a setback to their economic and psychological progress. If the central government doesn’t take any positive and effective step, then the future generation will lose interest in this profession. I think that in order to save this dying hand woven textile industry, the government has to take immediate action so that the people involved get direct relief. We must save this industry, as it is the heritage of

Bengal. More importantly, during such pandemic situation, the central government will have to stand by these hapless people.

I appeal to the Hon'ble Textile Minister to ensure that all the facilities and assistance extended by the central government reach these marginal weavers. I also demand an economic package for the weavers during this pandemic as early as possible.

(xii) Regarding increase in import duty on oranges exported to Bangladesh

श्री रामदास तडस (वर्धा): मुझे माननीय केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रीजी का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करते हुये कहना है कि, संतरा के निर्यात में महाराष्ट्र एक अग्रणी प्रदेश है। महाराष्ट्र से काफी मात्रा में संतरा बांग्लादेश भेजा जाता है, विदर्भ में सबसे ज्यादा संतरा उत्पादन होता है और विदर्भ से संतरे के कुल उत्पादन का 20 से 25 प्रतिशत लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन संतरे का निर्यात बांग्लादेश को किया जाता है। वर्ष 2020-21 मे बांग्लादेश द्वारा संतरे का आयात शुल्क रु . 33/ प्रति किलो (0-40 USD) बढाकर रु .42/- प्रति किलो (0.50 USD) किया है। बांग्लादेश व्दारा संतरे का आयात शुल्क बढ़ाने से संतरा उत्पादक किसान पर संकट आया है।

अतः माननीय केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि, केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश से संतरा आयात शुल्क कम करने के लिए चर्चा करे और संतरा उत्पादक किसानो को न्याय दिलाने का कष्ट करे।

(xiii) Regarding allocation of funds for development of Bhongir Fort in Bhongir Parliamentary Constituency, Telangana

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): I would like to draw the kind attention of the Government towards the need to allot funds for development of Bhongir Fort including laying of Cable Car (ropeway) which falls in my Bhongir parliamentary Constituency in Telangana State. I would like to state that Bhongir fort structure has magnificent history and tourism department and adventure enthusiasts offer special trekking tours to ascend the fort and it is connected well by roads and train. It is located from 48 kms from State capital-Hyderabad. Telangana State proposed to lay a Cable Car (rope way) to the fort for the tourists and tender was floated and again in the year 2016. The 2^{nd} tender floated has been put on back burner and there is no progress.

I request the Hon'ble Minister of Tourism, to kindly intervene in the matter and take up the project at the Central level.

(xiv) Regarding alleged irregularity in appointment to the post of Secretary, National Medical Commission

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Post graduate medical qualification is one of the mandatory requirements for the post of Secretary, National Medical Commission. However, it has come to my knowledge that a former Secretary, National Medical Commission had allegedly submitted fake post graduate medical degree at the time of his appointment to the post of Secretary, National Medical Commission. In fact, a number of complaints had been made in the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India in relation to fake post graduate medical degree of the former Secretary, National Medical Commission but no action has been taken against him so far. Unofficial enquires with the concerned university have also confirmed that he has not been awarded any P.G. degree from the college.

I, therefore, request the Government to kindly look into the matter and if it is found correct, also request you to take stringent action against him.

(xv) Regardig promotion of eco-tourism in Tiruvannamalai district of Tamil Nadu

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Around ten thousand acres of forest land at Melchengam in Tiruvannamalai District of Tamil Nadu are lying under–used for almost ten years.

A Herbal-cum-Eco Park as well as tribal and forest related Central Government Institution may be developed on that land for promotion of Eco-Tourism.

I wish to draw the attention of Hon'ble Minister for Environment, Forest and Climate Change through this August house to the Demand of the people of my Constituency.

(xvi) Regarding repeal of farm laws

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The Central Government is allegedly repressing the farmers agitating for the last eight months at the border of Delhi and have now shifted to Jantar Mantar. The real reason for this apparent dichotomy is that Union government is being seen as arrogant and contemptuous. Three farm laws were only to help a handful corporate groups. When the farmers began their siege on Delhi's borders, the first reaction of senior ministers was to charge them with being Khalistanis and 'anti-national'. The budgetary allocation to agriculture sector has been reduced. I urge upon the government to stop repressive measures including creation of barricades and start a dialogue with the farmers for repeal of three farm laws.

(xvii) Regarding sanction of funds to Andhra Pradesh to combat the menace of climate change

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): The coast line of A.P is the second largest among the states in India .The coast is dissected by the two major river system Krishna & Godavari, two smaller streams Penna and vamsadhara and also 35 smaller river streams. The long coast line of Andhra Pradesh is one of the most cyclone prone areas in India with high frequency of occurrences of severe cyclone storms in less span and heavy rain falls.

It is hard to believe that this neighbourhood, home to some of the country's priciest properties, stands on land reclaimed from the sea a century ago. It is harder still to picture it being reclaimed back by the ocean in about three decades, as a recent global study on the rise in sea levels predicted.

Every new report tends to bring the imminent dangers of a warming planet closer and paints a more alarming picture than before, and this one is no different. Besides raising questions about the future of millions living on or near our coasts, climate change also places in danger economic activity such as agriculture, industry and tourism, impairing the economy. It could also deal a blow to vital infrastructure such as ports, and affect freshwater resources at a time of growing water scarcity.

The Climate Central study, published in the journal Nature communications, expects areas inhabited by 36 million Indians now to be at risk of chronic flooding by 2050, much higher than the five million expected previously. Globally, the figure could be as high as 300 million people, nearly four times the past estimations.

Hence, it is proposed to protect most vulnerable points in different flood banks by providing rough stone revetment and forming Groynes reconstruction or repairs to the existing outfall skies depending upon the site condition. Hence, I would request to sanction necessary funds to help the state of Andhra Pradesh and my constituency of Amalapuram to combat to menace of climate change which is eroding coastline.

(xviii) Need to undertake caste census in Census 2021

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): संसद के मानसून सत्र में सरकार द्वारा बताया गया है कि 2021 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी। इस सूचना से हम सब स्तब्ध एवं दुखी हैं क्योंकि हमारी केंद्र सरकार पिछड़ों एवं वंचितों के कल्याण के लिए जानी जाती है। यह सूचना निराशाजनक है।

आज देश के अधिकांश लोग जाति आधारित जनगणना का समर्थन करते हैं। जब तक पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या पता नहीं चलेगी तब तक उनके फायदे की योजनाएं कैसे बनेगी। जाति आधारित जनगणना से एससी, एसटी के अलावा भी अन्य कमजोर वर्ग हैं, उनकी वास्तविक संख्या की जानकारी होगी और सभी के विकास के कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलेगी। बिहार विधान मंडल ने 18 फरवरी 2019 एवं पुनः 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था तथा इसे केन्द्र सरकार को भेजा गया था। मेरा सरकार से आग्रह है कि जातिगत जनगणना यथाशीघ्र कराई जाए।

(xix) Regarding electrification of Kollam-Punalur and Punalur-Schenkottah Railway line

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Kollam – Punalur - Schenkottah railway line is an important railway lane connecting Kerala and Tamil Nadu. Considering the importance the railway completed the gauge conversion works and commissioned the same. The line is not electrified. Considering the geographical condition of the area, the railway initiated action for electrification of Kollam-Punalur railway line. Electrification work is not progressing. There is delay in execution of electrification of Kollam - Punalur railway line. The electrification of Punalur -Schenkottah railway line is under consideration of railway and work has not yet started. Timely completion of electrification of Kollam – Punalur railway line and Punalur - Schenkottah railway line is highly required for the proper functioning of Kollam Schenkottah railway line.

Hence, I urge upon the Government to complete electrification of Kollam - Punalur railway line in a time bond manner and initiate immediate action for start the electrification of Punalur-Schenkottah railway line.

(xx)Need to upgrade ESIC DCBO in Jhunjhunu Parliamentary Constituency, Rajasthan into a 30-bedded hospital

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): संसदीय क्षेत्र झुन्झुनू स्थित ESIC DCBO पूरे शेखावटी (झुन्झुनू, चुरू एव सीकर) क्षेत्र को अपनी सेवाएं जून 2015 से प्रदान कर रहा है जिसके अतगत लगभग 25000 बीमित (20,000 बीमित का नियम) एवं उनके आश्रित परिवारजन आते हैं। शेखावटी क्षेत्र के 200 किलोमीटर (25 किलोमीटर क दायरे का नियम) के दायरे में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है इस कारण इस क्षेत्र के बीमित एवं आश्रितों को उच्च इलाज हेतु जयपुर जाना होता है जिसे श्रमिका एवं उनके आश्रितों को आर्थिक परेशानी के साथ-साथ मानसिक एवं शारारिक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ESIC नियमों के तहत 20,000 बीमितों पर 30 बेड का अस्पताल खोला जा सकता है जबकि शेखावटी क्षेत्र में 25000 से ज्यादा बीमित है।

शेखावटी क्षेत्र के श्रमिक संपूर्ण भारत में कार्यरत हैं। श्रमिकों के परिवारजन जो कि इसी क्षेत्र में रहते हैं इनमें बुजुर्ग माता-पिता, गर्भवती महिलाएँ, छोटे बच्चे शामिल हैं। 30 बेड का अस्पताल खुलने से बीमित के आश्रितों को स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं झुन्झुनू में ही दी जा सकेगी एवं वे कष्टपूर्ण लंबी यात्रा से बच पाएंगे।

जिला झुन्झुनू के नवलगढ़ क्षेत्र में सीमेंट उद्योग स्थापित होने के कारण श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी जिनको उच्च स्वास्थ्य सेवाएं ESIC जैसे बड़े अस्पताल की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ESIC DCBO झुन्झुनू को 30 बेड के अस्पताल में उच्चीकृत कर शेखावटी क्षेत्र के सभी श्रमिकों को सौगात प्रदान करे।

(xxi) Regarding disinvestment of RINL

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): The Centre seems to be bent on selling RINL. But RINL is not a sick unit, it has only been forced to bleed due to high interest rates and lack of captive mines, a long-pending demand. Instead of addressing these issues, the Centre is taking a very unwise decision of selling a strong PSU which is in steel-making, a strategic sector. I request to stop facilitating China's dominance in the global steel market by stopping 82% exports from going to China. Instead, that iron ore be given to RINL in the form of captive mines. Why is RINL being treated in this manner while a state PSU like GSPC was rescued by ONGC! Union govt owns VSP on people's land & due to the historic agitation in which Telugu lives were lost, the government can't forget that it was built on the lands given by the Telugu people.

(xxii) Need to cover employees appointed before 1.1.2004 in Jawahar Navodaya Vidyalaya under CCS Pension Rules, 1972

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि 1/1/2004 से पहले शामिल हुए कई संस्थानों को सीसीए पेंशन मंज़ूरी दी गई जबकि नवोदय स्कूल समिति के कार्मिको की पेंशन फ़ाइल को कट ऑफ डेट 1/1/1986 व गैर उत्पादक संस्थान के कारण लंबित रख दिया जबकि उक्त कार्मिको की अमूल्य सेवा व योग्यता को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने एनवीएस कार्मिको को सीसीए पेंशन स्वीकृत करने के पक्ष मे 2 बार कैबिनेट नोट स्थानातिरत किया परन्तु दुर्भाग्य से वित मंत्रालय ने कट ऑफ डेट के कारण मना कर दिया चूँकि नवोदय स्कूल ग्रामीण प्रतिभाओ को गुणवतापूर्वक शिक्षा प्रदान करता है ऐसे मे यह कोई फंड नही बना सके और इनकी बनाई गई बौद्धिक संपदा अमूल्य है । अतः जवाहर नवोदय विद्यालय में दिनाक 1/1/2004 से पहले सेवा मे आए कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली (पेंशन)1972 मे शामिल किया जाए।

(xxiii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Niwai in Tonk-Sawai Madhopur Lok Sabha Constituency, Rajasthan

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत निवाई विधान सभा के लोगों की काफी पुरानी मांग है कि निवाई में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला टोंक में केन्द्रीय विद्यालय है परंतु यह निवाई से काफी दूर पड़ता है जिससे कि निवाई विधान सभा के बच्चों को टोंक शहर में आना असंभव है औरा कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल वाले ना तो सही तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं और अपनी मनमर्जी से फीस ले रहे हैं जिससे कि गरीब आदमी चाह कर भी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रहा है। इस विधानसभा के अंतर्गत लगभग 75 पंचायत और एक नगरपालिका आती है और लगभग 30,000 लोग रहते हैं और इस क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई में काफी रूचि है। वहां के बच्चों ने भी मुझे ज्ञापन दिया कि हमारे एरिया में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए। इस विषय में मेरी मंत्री जी से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के निवाई शहर में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कष्ट करे जिससे कि आने वाले समय में निवाई विधान सभा के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

14.04 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF ESSENTIAL DEFENCE SERVICES ORDINANCE, 2021
AND
ESSENTIAL DEFENCE SERVICES BILL, 2021

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 31 और 32, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री विनायक भाउराव राऊत जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुधाकरन जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. अमर सिंह जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट अदूर प्रकाश जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री बैन्नी बेहनन जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. ।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट ए.एम. आरिफ ।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन ।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री थोमस चाज़िकाडन ।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री हिबी इडन जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर विराजें। मैं महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करा रहा हूं।

माननीय मंत्री जी ।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): माननीय अध्यक्ष जी, श्री राज नाथ सिंह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और जनता के जान और माल की रक्षा करने के लिए अनिवार्य रक्षा सेवाओं के रखरखाव तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, भारत सरकार ने दिनांक 16 मई, 2020 को घोषणा की है कि आयुध आपूर्तियों में ऑटोनमी, एकाउण्टेबिल्टी और एफिशिएंसी को सुधारने के लिए आयुध निर्माणी यानी डी.आर.डी.ओ.- ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाए। तत्पश्चात् 29 जुलाई, 2020 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पास कर दिया और पंजीकृत करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। इस स्वीकृति में 100 प्रतिशत गवर्नमेंट-ओन्ड कॉरपोरेट एंटिटीज में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई। इस निर्णय के विरूद्ध कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरने का नोटिस दे दिया और उन्होंने हड़ताल करने का नोटिस दे दिया।

मान्यवर, इसमें सेंट्रल लेबर कमिश्नर के स्तर पर शुरू की गई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग दिनांक 5 जून, 2021 को विफल हो गई। जब यह विफल हो गई तो 16 जून, 2021 को मंत्रिमंडल ने ओएफबी को सात डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में परिवर्तित करने की स्वीकृति दे दी। …(व्यवधान) इसके पश्चात् एम्प्लॉई फेडरेशन ने पुन: 8.07.2021 को अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए नोटिस दे दिया।…(व्यवधान)

मान्यवर, यद्यपि इस निर्णय में कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा रही है।…(व्यवधान) कहीं से कहीं तक कर्मचारियों का हित प्रभावित न हो, इसमें ऐसा प्रोविजन किया गया है।…(व्यवधान) आज देश की उत्तरी सीमा पर जो स्थिति है, उससे पूरा देश और यह सदन अच्छी तरह से भिज्ञ

है ।...(व्यवधान) इसलिए अनइन्टरप्टेड सप्लाई हमारी सेनाओं को आयुधों की होनी चाहिए और कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए ।...(व्यवधान) वहां पर जो आवश्यक हथियार गोला-बारूद या जो भी चीजें जाती हों, उन चीजों को वहां पर अच्छी तरह से बिना किसी रोक-टोक भेजना ही पड़ेगा ।...(व्यवधान) यह सरकार की मंशा है, यह देश की मंशा है और सदन की भी मंशा है।

मान्यवर, इससे पूर्व का केन्द्रीय कानून The Essential Services Maintenance Act, 1981 वर्ष 1990 में समाप्त हो चुका है और वर्तमान में आवश्यक रक्षा उत्पादकों और सेवाओं की उपलब्धता को सुचारू रखने के लिए कोई भी केन्द्रीय कानून नहीं है ।...(व्यवधान) चूंकि संसद सत्र चल रहा था और इस संबंध में तुरंत विधि निर्माण की आवश्यकता थी ।...(व्यवधान) मंत्रिमंडल ने दिनांक 23 जून, 2021 को The Essential Defence Services Ordinance, 2021 को स्वीकृति दे दी, जिसे भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा 30 जून, 2021 को प्रमलगेट कर दिया गया ।...(व्यवधान) इसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार को देश की सुरक्षा के हित में रक्षा से जुड़ी सभी एस्टैब्लिशमेंट में आवश्यक रक्षा सेवाओं का मैनेजमेंट सुनिश्चित करने की पावर प्रदान कर दी गई ।...(व्यवधान) माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हम ने पूर्व में The Essential Defence Services Bill, 2021 को 30 जून, 2021 के ऑर्डिनैंस में रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था ।...(व्यवधान) मुख्य रूप से राष्ट्र की सुरक्षा के हित में यह बिल लाया जा रहा है ।...(व्यवधान) अगर यह इन्वोक होता है, तभी इसमें कोई कार्रवाई होगी ।...(व्यवधान)

मान्यवर, कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के हितों को प्रभावित करने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है ।...(व्यवधान) हर तरफ से हमारे कर्मचारी सुरक्षित हैं ।...(व्यवधान) यह एक ऐतिहासन लाया गया है ।...(व्यवधान) यदि ये हड़ताल का नोटिस नहीं देते, तो यह भी प्रोविजन नहीं आता ।...(व्यवधान) इसलिए हमारे जितने

भी मित्रों ने इसमें अपनी आपत्तियां दी हैं, वे निराधार हैं, कहीं पर भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होता है और हम लोग अपने कर्मचारियों को जो सुख-सुविधा देते हैं, उनमें कहीं भी कटौती नहीं होती है।...(व्यवधान) मान्यवर, सारी चीजें निर्मूल हैं। मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ने इसमें सनसेट क्लॉज जोड़ने का निर्णय ले लिया है।...(व्यवधान) माननीय रक्षा मंत्री जी की हमारे जितने भी कर्मचारी ऑर्गनाइजेशंस हैं, उनसे बहुत ही अच्छी बातें हो गई हैं और बहुत अच्छे वातावरण में बातें हुई हैं, इसलिए कहीं से कहीं तक कोई संकट नहीं है।...(व्यवधान) निश्चित हो कर, मैं अपने मित्रों को आश्वासन देता हूं कि इस बिल को पास करने में सहयोग करें, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है और देश की रक्षा-सुरक्षा करना हमारा, सबका प्रथम कर्तव्य है।...(व्यवधान) इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास करने की कृपा की जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ **:**

> "कि राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और जनता के जान और माल की रक्षा करने के लिए अनिवार्य रक्षा सेवाओं के रखरखाव तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने इस विधयेक पर संशोधन दिए हैं**,** यदि वे उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं**,** तो कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा।

एन**.** के**.** प्रेमचंद्रन जी।

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Most respected Speaker Sir, this is a very important Bill. There are 41 Ordnance Factories in India. Now, the Government of India under the Ministry of Defence is trying to convert this into separate boards and finally, it is an indirect way of privatisation of ordnance factories in our country and the sole purpose of this Bill is to ban strike.

Sir, eighty-four thousand employees in the Defence sector, particularly in the ordnance factories will be affected by this. Banning the right to strike means taking away the legitimate right of the workers. There is the Industrial Disputes Act of 1947. Even, the labour courts are there. Unilaterally taking away the right of the workers is not right. I want to move the amendments. It is quite unfortunate. Passing a Bill in the din is not proper. It is not fair as far as the parliamentary practice is concerned. Therefore, I strongly oppose … (*Interruptions*) Sir, it is not fair … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी का आग्रह है कि आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाएँ ताकि इस बिल पर व्यापक चर्चा हो सके।

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I have given a notice regarding this issue … (*Interruptions*) Sir, it is not fair to pass such important Bills in the din … (*Interruptions*) Please do not pass this Bill in the din … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, with all humility at my command I must say that this legislation is nothing but a draconian measure. It is a retrogressive legislation that is being passed by this Government. The Government is intending to throttle the democratic right of the labourers of our country. It is totally an undemocratic legislation and this is being bulldozed in this House. The Government is in no mood to have a discussion on this issue … (*Interruptions*) हमारी डिमांड कुछ नहीं है, हम सभी विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक ही माँग है कि पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की शुरुआत की जाए।… (व्यवधान) बाकी हर विषय पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।… (व्यवधान) This kind of a legislation should not be passed in turmoil and when the House is not in order … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I had given a Statutory Resolution disapproving this Ordinance. This Ordinance is anti-labour. Around 78,000 workers working in the various ordnance factories had given a strong note opposing the corporatisation of ordnance factories. Corporatisation … (*Interruptions*)

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह जो बिल लाया गया है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है।… (व्यवधान) हमें इस बिल की अहमियत को समझना चाहिए।… (व्यवधान) चाहे आर्म्स हों या एम्युनिशंस हों, उनकी सप्लाई में किसी भी प्रकार की बाधा न पैदा हो सके, इन बातों को ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया है।… (व्यवधान) जहाँ तक ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉइज का प्रश्न है, सारे एम्प्लॉइज के साथ, हमारी जितनी भी यूनियन्स हैं, उनके रिप्रजेंटेटिव्स के साथ हमारी बहुत ही अच्छी और सौहार्द्रपूर्ण वार्ता हो चुकी है।… (व्यवधान)

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह एक्ट तभी प्रभावी होगा, जब यह इन्वोक किया जाए।… (व्यवधान) हो सकता है कि इस एक्ट को इन्वोक करने की आवश्यकता ही न हो और यह एक्ट केवल एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा।… (व्यवधान) इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करने का कष्ट करें।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और जनता के जान और माल की रक्षा करने के लिए अनिवार्य रक्षा सेवाओं के रख-रखाव तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

Clause 1 **Short title Extent and Commencement**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6 के *पश्चात*,-

"(4) यह उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर प्रभावी नहीं रहेगा, जिस तारीख को अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, सिवाय उन बातों के, जिनको इस अधिनियम के प्रचालन के समाप्त होने की तारीख से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है और साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 इस अधिनियम के प्रचालन के समाप्त होने पर

ऐसे लागू होगी मानो इसे तब किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित किया गया था।" (1)

(एडवोकेट अजय भट्ट)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

एडवोकेट अजय भट्ट : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो रही है, आप चर्चा करें, संवाद करें। कानून बनाते समय उसकी चर्चा और संवाद में आपका हिस्सा हो।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी अपनी सीट्स पर जाएं। मैं आपको विधेयक पर बोलने के लिए पर्याप्त समय और मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.17 hrs

The Lok Sabha then adjourned till
Sixteen of the Clock.

____

16.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

16.0 ¼ hrs

At this stage, Dr. Amar singh, Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

16.0 ¾ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS-Contd..

(viii)Status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying*

HON. CHAIRPERSON: Item no. 29. Dr. L. Murugan.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2020-2021) pertaining to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4481/17/21.

<u>16.01 hrs</u>

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF TRIBUNALS REFORMS (RATIONALISATION AND CONDITIONS OF SERVICE) ORDINANCE, 2021 AND TRIBUNALS REFORMS BILL, 2021

HON. CHAIRPERSON: Item Nos. 33 and 34.

Shri Adhir Ranjan Chowdhury

… (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैंने स्टैच्यूटरी रिजोल्यूशन के लिए डाला है,… (व्यवधान) लेकिन सदन में चर्चा होने से पहले चर्चा का माहौल बनाना जरूरी है और सदन में चर्चा का माहौल बनाना सरकार की जिम्मेवारी होती है। … (व्यवधान) मुझे कृपया बोलने दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : सरकार की तरफ से बराबर प्रयास किया जा रहा है तथा अनुरोध किया जा रहा है।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : कृपया को-ऑपरेट कीजिए। आप सभी माननीय सदस्यों को बैठने के लिए कहिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, यह माहौल जो खराब हो रहा है**,** वह विपक्ष के द्वारा ही खराब किया जा रहा है।… (व्यवधान) हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा करने के लिए हम तैयार भी हैं। हमने बीएसी में भी कहा था कि आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: क्या आप रिजॉल्यूशन मूव कर रहे हैं?

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि सरकार का जो बिजनेस है, उसे पहले ले लिया जाए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Vinayak Bhaurao Raut

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adv. Dean Kuriakose

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adv. Adoor Prakash

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri K. Sudhakaran

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Mohammed Faizal P.P.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Benny Behanan

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Amar Singh

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Kodikunnil Suresh

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Jasbir Singh Gill

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri N. K. Premachandran

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the question is that this is a Statutory Resolution to be moved. But it is quite unfortunate to say that the House is not in order … (*Interruptions*) My point is that we are ready for a discussion.

HON. CHAIRPERSON: If you are ready for a discussion, please request all the fellow Members to go back to their seats.

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : The point is how the Bill can be passed like this because these are all very serious and important Bills having serious ramifications.

माननीय सभापति: प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप रिजॉल्यूशन मूव कर रहे हैं?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Manish Tewari

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Shashi Tharoor

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri P. R. Natarajan

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adv. A.M. Ariff

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri T. N. Prathapan

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri E.T. Mohammed Basheer

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Thomas Chazhikadan

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Hibi Eden

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I am indeed happy that very many Members are saying that they want to participate in the discussion … (*Interruptions*) आपने सही कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं … (व्यवधान) और अगर ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर जब अपोजीशन के मेंबर्स चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार हैं तो हम भी उन चर्चा के पॉइंट्स सुनने के बाद जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। … (व्यवधान) मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चर्चा में भाग लेने की बजाय इतनी सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा रही है। … (व्यवधान) मुझे दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि उस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए ये कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।

समय की आवश्यकता को देखते हुए यह बिल लाया गया है। समय की आवश्यकता इसीलिए है कि बहुत सारे केसेज ट्रिब्यूनल के विषय के पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट दिए हैं। इस माहौल में हम ऑर्डिनेंस ले आए।

उस ऑर्डिनेंस को विदड्रॉ करके अभी बिल लाना चाह रहे हैं।… (व्यवधान) अगर बिल पारित नहीं होता है, तो नार्मली ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है।… (व्यवधान) सही नजरिये से ऑर्डिनेंस लाने में भी ओपोजीशन को आपत्ति है।… (व्यवधान) क्या गवर्नेंस ऑर्डिनेंस के रूप में चलना चाहिए? … (व्यवधान) बिल्कुल नहीं।… (व्यवधान) बिल जरूर कंसीडरेशन में आना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए और एक्ट के द्वारा गवर्नेंस होनी चाहिए।… (व्यवधान) हम ऑर्डिनेंस को खत्म करके कानून लाने के लिए इस बिल को ला रहे हैं।… (व्यवधान) उसके ऊपर चर्चा न करते हुए, इसे पारित भी न करते हुए, कांस्टीट्यूशनल इम्पास लाने के लिए अपोजीशन नोइंगली और अननोइंगली जो कर रहा है, वह ठीक नहीं है।… (व्यवधान) इसीलिए, मैं शुरुआत से यह विषय बोलना चाह रही हूं कि ऑर्डिनेंस में जितने भी विषय थे, वही इस बिल में हैं।… (व्यवधान) ऑर्डिनेंस में जितने भी विषय इन-रेस्पांस टू कोर्ट हमने किये हैं, वे भी इसमें है।… (व्यवधान) इसीलिए समय को ध्यान में रखते हुए, इसको जल्दी पास करने के लिए मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वैस्ट कर रही हूं।… (व्यवधान) प्लीज इसको पास कीजिए।… (व्यवधान)

महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ:

> "कि चलचित्र अधिनियम, 1952, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा

कतिपय अन्य अधिनियमों का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है **:**

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा कतिपय अन्य अधिनियमों का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

Clause 3 Qualifications, appointment etc. of Chairperson and members of Tribunal

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी।

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Mr. Chairman, Sir, through this Tribunal Reforms Bill, 25 Acts are being amended. … (*Interruptions*) Sir, let me come to my point. … (*Interruptions*) Through this Bill, 25 Acts are being amended.

HON. CHAIRPERSON: Are you moving your amendments?

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I am not. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 से 35 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, this kind of legislation will augur ominous symptom in our country. … (*Interruptions*) This is nothing but a serious encroachment upon the Judiciary. … (*Interruptions*) This Bill violates the principle of… (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, what is this? I am sorry. … (*Interruptions*) I would like to respect every word of what is being said. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है**:**

"कि विधेयक पारित किया जाए।**"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 4 अगस्त**,** 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

16.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 4, 2021/Sravana 13, 1943 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Lok Sabha T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)